RAJYA SABHA

Friday, the 30th March, 1990/the 9th Chaitra, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Gaj Singh (Rajasthan)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Question No. 261.

Employment of child labour in contravention of the child labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

*261. SHRI ANAND SHARMA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of children employed as labour in the country in contravention of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986: and

(b) the steps taken by Government to check the child labour and to rehabilitate them?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

No data is available regarding the number of children employed as labour in the country in contravention of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. The implementation of the Act lies in main with State Governments. As per the latest available reports, 231 prosecutions had been launched under the Act during the year 1988-89.

In the context of the National Policy on Child Labour, Central Government is providing support for rehabilitation in 9 areas where there is predominant concentration of child labour.

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Chairman, Sir, I am indeed fortunate that on the last day of this Session and on the last day of my present term, my question has been listed as the first question. From the answer of the Minister which has been laid on the Table, it is very clear that the Government has not paid any serious attention to the question. It is a very routine reply which has been given without considering the problem at hand, the seriousness of the situation and the recommendations made by the various committees till this date. Article 24 of the Constitution forbids children below the age of 14 years being employed in mines or any other hazardous employment. And children below the age of 14 years constitute 40 per cent of the population of the country. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act is, in my opinion, a transitional enactment and cannot be termed as the final legislation because millions of children below the age of fourteen continue to be engaged in hazardous employments all over the country. I would like to know from the Minister whether the Central Advisory Board on Child Labour had set up a Task Force headed by Dr. L. M. Singhvi and that Task Force, had submitted its report giving a detailed account of the position as existing in the country today regarding child labour. That Task Force has demanded a White Paper from the Government, whereas as per your answer you say that in the context of the National Policy on Child Labour, Central Government is providing support for rehabilitation. I have asked a specific question regarding the number of cases, the position of the Government and the action being contemplated on the report of this Task Force which was commissioned by the Central Advisory Board and whether the Government is coming out with a White Paper.

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह मैं हमेशा से इस सदन में कहता आया हूं कि हमारे यहां ऐक्टों की कमी नहीं है। यदि आप देखेंगे तो, फैक्टरीज ऐक्ट,

1948 है, मिनिमम वेजेज ऐक्ट है, प्लांटेशन लेबर ऐक्ट (1951) है, माइंस ऐक्ट (1952) है, इंडियन मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, (1956) है, ये सारे ऐक्ट बने हैं। लेकिन इन ऐक्टों के बावजूद भी अभी तक जो चाइल्ड लेबर की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया है। यह चाइल्ड लेबर की समस्या है वह सीधी गरीबों से जुड़ी है। आप जानते हैं कि हमारे पास एक ही हथियार है वह है नेशनल सैम्पल सर्वे का और इसके मुताबिक इस देश में 1.7 करोड़ बाल श्रमिक की संख्या बतायी गयी है 1987–88 की। जहां तक टास्क फोर्स की रिपोर्ट का ताल्लुक है इस टास्क फार्स की रिपोर्ट को जिस समय रखा जायेगा उसी समय निर्णय लेंगे।

श्री आनन्द शर्मा : सभापति महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह पूछा था कि क्या उस टास्क फ़ोर्स की रिपोर्ट जो कि सरकार के पास आ चुकी है उस पर आपने कोई कायवाही शुरू की है ? व्हाइट पेपर की मांग की गयी और अभी आपने जो कहा है कि हमारे पास ऐक्ट की कमी नहीं है और मैंने 1986 के चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन आफ एम्पलाएमेंट एक्ट का जिक्र किया जो अपने आप में पूर्ण नहीं है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु की जो शिवाकासी इंडस्ट्री है उसमें ही 14,721 बच्चे 14 वर्ष की आयु से कम हैं और वह खतरनाक रोजगार में लगे हुए हैं। देश में लाखों इस बरह के बालक हैं। मैं मंत्री महोदय से, सरकार से जानना चाहूंगा कि इस गम्भीरता को देखते हुए संविधान के आर्टिकल 24 को मद्देनजर रखते हुए जिसमें 14 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों को इस बरह के रोजगार में लगाना असंवैधानिक है तो क्या आप कोई कामन कोड, चाइल्ड लेबर पर बनाने जा रहे हैं ? और क्या आपकी सरकार यह चालीस परसेंट जो हमारी संख्या का हिस्सा है, जो हमारी किसी भी विधान सभा या संसद में रिप्रेजेन्ट नहीं करते हैं तो क्या उनके लिए कोई खास ऐसा बिल लायेगी जिससे उनको प्रतिनिधित्व मिले और उनकी समस्या को गम्भीरता से लिया जा सके ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि जो 1986 का एक्ट है उसमें आप जरूर गए होंगे। उसमें कई एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल प्रतिबंधित हैं जहां काम नहीं कर सकते और बहुत से एरियाज ऐसे हैं, 14 एरिराज ऐसे हैं जहां उनके एक पार्ट में काम कर सकते हैं लेकिन जहां खतरनाक काम है वहां नहीं काम कर सकते। जैसा मैंने कहा कि इन सारी चीजों में ऐक्ट अलग है और फैक्ट अलग है। अभी तक कुछ नहीं हो पाया है इस दिशा में और हमारी सरकार जरूर कोशिश करेगी कि बाल श्रमिकों के लिए जो कानून बनाया गया है उनका वहां कड़ाई से पालन हो और उनके लिए जहां अपर्याप्त कानून होंगे वहां कानून बनाने का काम किया जाएगा।

श्रीमती वीणा वर्मा : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बहुत से बच्चे बाल श्रमिक है लेकिन देश भर में बहुत से ऐसे बंधुआ बाल श्रमिक बच्चे हैं जिनको यह काम विरासत में मिला है—अपने माता-पिता के गर्भ से मिला हो या डर से से मिला हो—पर विरासत में मिला है। ये बाल बंधुआ श्रमिक बच्चे कितने हैं क्या इसका कोई सर्वे हुआ है ? अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने सर्वे किया था उसके अनुसार उनकी संख्या देश में एक करोड़ बतायी गयी है तो उनके पुनर्वास के लिए सरकार क्या कर रही है और उनको क्या सुविधाएं प्रदान कर रही हैं ? क्या कोई ऐसी योजना या कानून आप लाने जा रहे हैं जिससे उनका पुनर्वास किया जाए ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा जहां तक बंधुआ मजदूरी का मामला है जो बंधुआ मजदूर की समस्या है उसके बारे में रिपोर्ट ठीक से नहीं आ पायी है। बंधुआ मजदूर की जो परिभाषा है आप जानते हैं कि कौन बधुआ मजदूर माना जायेगा, इसमें काम करने वाले कौन लोग हैं ? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बंधुआ मजदूरी का जीवन यापन करना पड़ रहा है। लेकिन जो एक्ट

की परिभाषा है उसमें वे नहीं आ पाते हैं । अलग से बंधुआ मजदूर बच्चों का मामला नहीं जोड़ा गया है । बहुत सारी चीजों की कमी है उसमें हम निश्चित रूप से पता लगायेंगे कि बंधुआ मजदूर बच्चों की संख्या अलग से कितनी है ? इसका सर्वे करायेंगे । जहां तक फिगर्स की बात है . . .

श्री सभापति : बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए कह रही हैं ।

श्री राम विलास पासवान : बंधुआ मजदूरी खत्म है ही । आपका जो चाइल्ड लेबर ऐक्ट है इसमें कहीं तो प्रोविजन रखा है कि बच्चे काम कर सकते हैं और कहीं आपने रखा है कि इन जगहों पर काम नहीं कर सकते हैं । हम गांव से आते हैं हम लोगों ने देखा है . . .

श्री सभापति : बंधुआ मजदूरी की बात कर रही हैं ।

श्री राम विलास पासवान : बंधुआ मजदूरी एबोलिशन ऐक्ट जो है उसमें कहा गया है कि कोई बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता । जहां तक बच्चों का सवाल है बच्चों के अलग से हमारे पास आंकड़े नहीं हैं ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Mr. Chairman, the appalling conditions in which the children are exploited while in employment is really a shameful blot, and I am afraid that not much is being done excepting giving some lip-sympathy.

MR. CHAIRMAN: You put the question. Everybody is agreed on this.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: I want to ask specifically one question. I may also mention that only a few months earlier, at the end of the last year, the United Nations have adopted the U. N. Convention on Child. I want to ask about the girl-child labour which is the most vulnerable among the child labour. Not only are they exploited, not only are they paid less but very often they are also subjected to gross sexual exploitation. May I ask the hon. Minister as to what particular and special steps are being taken for the protection of the girl child labour.

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जहां तक बंधुआ मजदूरों का सवाल है, बंधुआ मजदूरों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं । ये जो बच्चे काम करते हैं, इन सब की समस्या एक ही है ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Their problems are special.

श्री राम विलास पासवान : लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों का अभी तक जितना इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था यह नहीं हो पाया है । मेरे पास 1987–88 और 1988–89 के फीगर्स हैं जिनमें अभियोग चले थे और चाइल्ड ऐक्ट में 314 में कंविक्शन 61 का हुआ और फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक 108 में कंविक्शन 70 का हुआ ।

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: That is not my question. I am asking only about girl-child labour.

श्री राम विलास पासवान : आपने जो सुझाव दिया हैं उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, यह जो राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति है उसके संबंध में मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में चर्चा की है । मेरी समझ से यह अब पुरानी हो चुकी है और अब बदले हुए वातावरण में, नये परिवेश में, नई बाल श्रमिक नीति बनाने की आवश्यकता है । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इरादा नई बाल श्रमिक नीति बनाने का है और यदि हां, तो यह कब तक बन जाएगी ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी यह सवाल बहुत ही व्यापक है और इसका जवाब 'हां' या 'नहीं' में नहीं दिया जा सकता है । मैंने एक सीधी सी बात कही कि बाल श्रमिकों की समस्या सीधे गरीबी से जुड़ी हुई है । जिस दिन हम इस काबिल हो जाएंगे कि कम से कम गांवों में, अगर शहरों में नहीं, लोगों को इम्प्लायमेंट दे सकें और गांवों में जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिए इम्प्लायमेंट की व्यवस्था कर सकें तो 90 प्रतिशत हमारी यह समस्या दूर हो जाएगी । जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने बजट में 50 प्रतिशत एलोकेशन ग्रामीण विकास के लिए किया है । अगर हम ग्रामीण विकास पर 50 परसेंट खर्च करेंगे तो गांवों में खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिल सकेगा और तब कोई बाप अपने बेटे से नहीं चाहेगा कि वह भीख मांगे या बंधुआ मजदूरी का काम करें या पढ़ने-लिखने के बजाय कोई दूसरा काम करे । माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं अभी जवाब नहीं दे सकता हूं । इसकी हम जांच करवाएंगे ।

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय : माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि हम 50 प्रतिशत एलोकेशन गांवों के खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण विकास पर करने जा रहे हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि मंत्री जी गांवों से आते हैं और मैं भी गांव से आती हूं और यह बात ताऊ जी को मालूम होनी चाहिए कि हम भी गांव के रहने वाले हैं ।

श्री सभापति : यह उनका सवाल नहीं है ।

श्रीमती मनोरमा पाण्डेय : अभी मंत्री जी ने कबूल किया है कि हमारी जो अर्थ व्यवस्था है उसमें गांवों में गरीब लोग रहते हैं और उन्हीं के बच्चे अधिकतर काम इसलिए करते हैं कि यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने फण्ड के एलोकेशन की बात तो कर दी, लेकिन वे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी अभी तक हमने जो नौ पुनर्वास योजनायें चलाई हैं उनमें 90 हजार 5 सौ बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ।

लेकिन मैंने जैसे कहा कि यदि 1.70 करोड़ रुपया भी रख ले तो भी बहुत ही कम है । यह योजना ऐसी नहीं है, नौवीं योजना हमारी चल रही है, कोई अंतिम योजना नहीं है । निश्चित रूप से इस योजना का विकास किया जायेगा और आगे बढ़ोतरी भी की जायेगी ।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I want to draw the attention of the House and the hon. Minister to the fact that in this year, the year of the girl-child, there has been a rising trend of foetal abortions which are being done under the guise of amniocentesis. Sir, various Acts have been passed, but what is actually required is the will to implement the measures that are existing. I would sincerely request the House to reconsider the merits of allowing the child to work, whether it is a hazardous job or not. In the long-term goal of having a planned policy....

MR. CHAIRMAN: You put your question, please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I am putting my question to the hon. Minister. Would he consider re-examining the Bill that has been passed in this House by the previous Government justifying the right of a child to work? This and the right to work, the two are so different. They are so alien and hostile to each other that as a woman, as a mother, I plead with all of you. In spite of the various Acts we could not prevent children from being employed because we could not monitor it. So, why are we indulging in an exercise of hypocrisy that we are justifying the child's need to work. And then you say that they are not doing the hazardous jobs and so all of us can rest easy. I would request the hon. Minister because he is a man of sincerety and conviction that he will rise... (*Interruptions*)

Yes, all of you men are laughing. I notice that. None of you ever have a child. Have you? (*Interruptions*) I am sorry unless you are given a certificate by the mother that you are the father of the child, you would also worry. So, it is with the right as a mother that I am requesting the Government to please re-examine the priorities. If it is right for us even to allow a child to work...

MR. CHAIRMAN: Put your question, please. Everybody accepts that all these males cannot become mothers.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Please. I mean it in absolute sincerity. It is not right for children to work hazardous or non-hazardous. Children cannot grow in an environment which is not condusive to childhood. So, please consider this. The right to work should go to adult people who have the physical ability to work. So, let us see that child labour is abolished in totality.

श्री राम विलास पासवान: महोदय, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने गरीबी को देखा है और मैं जब गरीबों की बात कहता हूं तो दिल से कहता हूं। यह मैं केवल जुबान से नहीं कहता हूं। बहुत से लोग रोड पर चलते चले जाते हैं और उनके सामने भीख मांगने वाला बच्चा जब कटोरा लेकर आता है तो शायद वे यह समझ नहीं पाते कि यह बच्चा कौन है, इसके मां-बाप कौन हैं। इनके लिये अभी तक, इन 42 सालों में क्या योजना बनी है ? इसीलिये मैंने कहा कि मैं इसको बहुत सिसरियेटी के साथ ले रहा हूं। जहां तक पालिसी और बिल का सवाल है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी पोलिटिकल विल के साथ जहां मजदूरों, गरीबों और दलितों की समस्याओं को साल्व करना चाहती है वहीं चाइल्ड लेबर ऐक्ट, हमारे पास जब साधन हो जायेंगे, तो तब इन्होंने जो बात कही है कि अबोलिशन होना चाहिये चाइल्ड लेबर का, कोई बच्चा काम नहीं करेगा, उसको खत्म किया जायेगा। लेकिन साधन कब तक होगा यह सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग सभी जानते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्या को यह जरूर बतलाना चाहूंगा कि बाल श्रमिकों के बारे में जो कानून बनायेंगे उनका हम कड़ाई से पालन करवायेंगे। हमने 21 तारीख को लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स बुलाई है। उसके पहले यदि हमको आवश्यकता हुई और बाद में आवश्यकता हुई तो बाल श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार भी करेंगे जिसमें सभी तपके के समाज सेवी संस्थाओं के लोगों को हम बुलायेंगे और इसमें जो आम सहमति होगी उसके आधार पर सरकार नीति बनायेगी।

नेहरू रोजगार योजना के लिए नए दिशा-निर्देश

*262. **श्री राम नरेश यादव* :**
श्री पशुपति नाथ सुकुल :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "नेहरू रोजगार योजना" को जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने नेहरू रोजगार योजना को जारी रखने के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री कुरान्नोली मारन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

---

*सभा में यह प्रश्न श्री राम नरेश यादव द्वारा पूछा गया।